न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या– 2023/08

1. गोरू आत्मज बरधा जाति माली निवासी ग्राम गम्भीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
2. नन्द किशोर आत्मज श्री बख्तावरा जाति खाती निवासी ग्राम गम्भीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।

–अपीलांट

बनाम

1. शोजीलाल आत्मज श्री सुवा जाति मीना निवासी ग्राम गम्भीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।

–रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहस–(1). बलराम शर्मा– अधिवक्ता अपीलांट
(2). अशोक गुप्ता– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1

निर्णय **दिनांक 24.07.2023**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 169/2017 मे पारित निर्णय दिनांक 04.01.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के तहत प्रार्थना–पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम गम्भीरा पटवार मण्डल गंभीरा तहसील नैनवां की जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075 की कृषि भूमि खसरा संख्या 2274 रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त वर्णित कृषि भूमि का प्रार्थी अन्य सह खातेदारों के साथ सह खातेदार आसामी के रूप में दर्ज है और उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि पर निरन्तर निर्बाध रूप से शांतिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है। उपरोक्त वर्णित भूमि के पूर्वी तरफ में

खसरा संख्या 2275 भूमि है जिसका खातेदार गौरू आत्मज बरधा जाति माली निवासी गंभीरा है एवं उत्तर की तरफ 2276 भूमि स्थित है जिसका खातेदार रामकिशोर आत्मज बख्तावरा आदि जाती खाती निवासी गंभीरा के है। प्रार्थी का अपनी कृषि भूमि खसरा संख्या 2274 पर जाने का एकमात्र वर्षो पुराना रास्ता उपरोक्त वर्णित दोनो खातेदारों की भूमि के अड़वा खसरा संख्या 2277 में होकर रास्ता निकल रहा है जो उत्तर से दक्षिण दिशा में आते हुए प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 2274 में जाता है। प्रार्थी इस खसरा नम्बर 2277 मे स्थित रास्ते के बींचो–बीच में होकर अपने गाड़ी बैल, ट्रैक्टर ट्रोली और अन्य कृषि उपकरण ले जाता है। परन्तु विगत कई दिनों से उपरोक्त वर्णित खसरा संख्या 2276 एवं 2275 के दोनो खातेदार जबरन अवैधानिक एवं अनाधिकृत रूप से जबरन खसरा संख्या 2277 में होकर निकल रहे रास्ते को बंद करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थी को अपने खेत खसरा संख्या 2274 पर जाना मुश्किल हो गया है। यदि दोनों खातेदार रास्ते को बंद कर देते है तो प्रार्थी का अपने खेत खसरा संख्या 2274 पर खेती करना मुश्किल हो जायेगा और प्रार्थी को भूखों मरने की स्थिति पैदा हो जायेगी तथा प्रार्थी का खेत पड़त ही रह जायेगा और उस पर कोई फसल भी पैदा नहीं होगी। अन्त मे खसरा संख्या 2277 मे होकर निकल रहे रास्ते को उपरोक्त वर्णित खसरा संख्या 2273 व 2274 के दोनो खातेदारों को पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थी को खसरा संख्या 2274 पर जाने से नहीं रोके। यदि खसरा संख्या 2275 में थोड़ा बहुत भी रास्ता कम है तो उसके लिए प्रार्थी उचित दर से मुआवजा राशि जमा करने को भी तैयार है।

3. उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण द्वारा दिनांक 14.06.2016 को निर्णित किया जाकर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 2274 मे आने जाने हेतु रास्ता खसरा संख्या 2275 व 2276 में कायम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 14.06.2016 की अपील अपीलांटगण अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से पेश की गई, जो न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 08.11.2017 से निर्णित की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर। प्रार्थी व अप्रार्थीगण सख्या 2 व 3 अधीनस्थ न्यायालय मे जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। दिनांक 04.01.2023 को प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजी मे आने–जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 2275, 2276, 2277 में कायम किये जाने का निर्णय पारित किया गया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.01.2023 से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 ने यह अपील इस न्यायालय प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया । सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का

अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

5. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील कानून, न्याय एवं संचिका में प्राप्त सिद्धि के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाकर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2274 रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम गम्भीरा तहसील नैनवां जिला बूंदी मे पहुंच के लिए खातेदारान अपीलांटगण व सिवायचक की आराजी में से अपीलांट संख्या 1 की खसरा संख्या 2275 मे से 2178 वर्गफीट, अपीलांट संख्या 2 की खसरा नम्बर 2276 में से 2178 वर्गफीट तथा सिवायचक खसरा नम्बर 2277 में से 2257.2 वर्गफीट भूमि पर नया मार्ग सृजित किये जाने का एवं राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार प्रतिकर राजकोष मे जमा होने के उपरान्त दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उसके खाते व कब्जे की खसरा नम्बर 2274 की रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा भूमि में आने–जाने का, कृषि उपकरण लाने व ले जाने के लिये पूर्व से खसरा नम्बर 2159 व खसरा नम्बर 2274 की भूमि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की भूमि है तथा खसरा नम्बर 2160 व 2061 की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के परिवार के सदस्यों की भूमि है, उस पर होकर खसरा नम्बर 2062, 2163, 2165, 2167, 2581/2165 की भूमि पर होकर रास्ता कायम चला आ रहा है। इसी रास्ते का सदैव से प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रास्ते के उपयोग मे लिया जाता रहा है। खसरा नम्बर 22275, 2276 की अपीलांट अप्रार्थीगण की भूमि में होकर कभी भी रास्ता कायम नहीं रहा है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगण अपीलांट की भूमि में होकर नया रास्ता कायम किये जाने का आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार नैनवां से मौका रिपोर्ट तलब की, उक्त रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध चला आना अंकित किया है, किन्तु उक्त रिपोर्ट में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने मिलकर उक्त वैकल्पिक रास्ता वर्षा ऋतु को छोड़कर शेष समय मे उक्त रास्ता चालू रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की कृषि भूमि मे पहुंचने हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। इस कारण अपीलांट की भूमि में होकर कानूनन नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता है। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध एवं सर्वथा गलत रूप से अपीलांट के खाते व कब्जे की भूमि में होकर नया रास्ता कायम किये जाने का आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि अपीलांट के खाते व कब्जे की खसरा नम्बर 2275 व 2276 की भूमि में से होकर नया रास्ता कायम करना व्यवहारिक नहीं है अतः उक्त भूमि में होकर नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता है। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने हुक्म जेर अपील प्रदान

करने में त्रुटि की है। कानून में यह स्पष्ट है कि जहॉ वैकल्पिक रास्ता मौजुद होगा वहॉं अन्य नवीन रास्ता कायम नहीं किया जाएगा। प्रार्थीगण रेस्पो0 अपने परिवार के सदस्यों की भूमि से रास्ता नहीं चाहते, जबकि वह लगवां भूमि है। मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार को मौके पर जाना चाहिए था। तहसीलदार नैनवां मौके पर नहीं गए तथा उसकी एकपक्षीय त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट को आधार बनाकर अधीनस्थ न्यायालय ने हुक्म जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। साथ ही रास्तें में अवाप्त शुदा भूमि की राशि राजकोष में जमा कराने का आदेश प्रदान करने में भी त्रुटि की है। रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व तहसीलदार नैनवां ने अपीलांट को नोटिस प्रेषित नहीं करने में त्रुटि की है। तहसीलदार नैनवां ने दोनो पक्षकारों की मौजूदगी मे मौका देखकर रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए थी। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2022(1) पेज 61, 466, 447, आर.बी.जे. 2021 पेज 276, 299, आर.आर.टी. 2023 पेज 77, 219, आर.आर.टी. 2010 पेज 1197, आर.आर.टी. 2014 पेज 683 प्रस्तुत किया। अन्त मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.01.2023 निरस्त किये जाने का निवेदन किया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.01.2023 मे कोई वैधानिक त्रुटि नहीं होकर कानून सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित रास्ते की रिपोर्ट तलब की जिसकी पालना मे तहसीलदार नैनवां ने विवादित रास्ते की रिपोर्ट विधिवत तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय मे प्रेषित की है। विवादित रास्ते की रिपोर्ट अपीलांट की मौजूदगी मे तैयार की गई है। रिपोर्ट मे जो वैकल्पिक रास्ता बताया गया है यदि वह दिया जाता तो उसकी लम्बाई विवादित रास्ते से बहुत अधिक है तथा मौके अनुसार वह रास्ता वर्षा में बंद हो जाता है। इस कारण मौका रिपोर्ट देखकर सभी पक्षों को सुनकर सही निर्णय पारित किया गया है। रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया है कि वैकल्पिक रास्ता मौजुद है बल्कि यह कहा गया है कि कौनसे रास्ते का विकल्प हो सकता है? अधिवक्ता अपीलांट मौका रिपोर्ट की गलत व्याख्या कर रहे है। रेस्पोडेन्ट सख्या 1 की आराजी मे आने–जाने हेतु एकमात्र रास्ता प्रश्नगत आराजी से ही दिया जा सकता है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विद्यमान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर विधिवत् रास्ता कायम किये जाने का निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अपीलांट की ओरे से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.01.2023 को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

7. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का

गहनता से अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। आदेशिका दिनांक 15.03.2022 को तहसीलदार नैनवां से रास्ते के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त होना अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 26.08.2021 की मौका रिपोर्ट संलग्न है। इस रिपोर्ट को तहसीलदार नैनवां ने दिनांक 14.09.2021 को उपखण्ड अधिकारी नैनवां को प्रेषित किया। इस मौका रिपोर्ट पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने अधीनस्थ न्यायालय मे आपत्ति प्रस्तुत की। दिनांक 23.03.2022 को अप्रार्थी के आपत्ति प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनकर पुनः तहसीलदार नैनवां को रास्ते की रिपोर्ट हेतु लिखे जाने के निर्देश दिए। उपखण्ड अधिकारी नैनवां ने दिनांक 24.03.2022 को पुनः तहसीलदार नैनवां को रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु पत्र लिखा। पुनः भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी द्वारा दिनांक 02.05.2022 को मौका रिपोर्ट तैयार की गई, जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। मौका रिपोर्ट पर गोरूलाल पुत्र बरदालाल के हस्ताक्षर अंकित है। मौका रिपोर्ट पर अन्य मौतबिरान के हस्ताक्षर भी अंकित है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांटगण को मौका रिपोर्ट तैयार करने की जानकारी थी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में दो बार मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। पूर्व मौका रिपोर्ट पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 अपीलांटगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने पर पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई तथा तहसीलदार के पत्र में स्पष्ट अंकित है कि अन्य कोई रास्ता प्रार्थी की भूमि पर पहुंचने हेतु उपलब्ध नहीं है। मौका रिपोर्ट्स से स्पष्ट है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की भूमि पर पहुंचने हेतु वैकल्पिक रास्ते का अभाव है। द्वितीय मौका रिपोर्ट दिनांक 02.05.2022 एवं तहसीलदार नैनवां के उपखण्ड अधिकारी नैनवां को प्रेषित पत्र में मौके अनुसार विस्तृत रिपोर्ट बनाकर प्रेषित की गई। हस्तगत प्रकरण अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में दिनांक 20.05.2016 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। रास्ते सम्बंधी विवादों को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान तथा राजस्व विभाग द्वारा त्वरित निस्तारण के आदेश है। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीगण अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के संक्षिप्त जांच करते हुए मौका स्थिति के सभी आयामों की विवेचना निर्णय में की है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके अनुसार प्रकरण के सभी पक्षों की विवेचना करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। न्यायालय हाजा के समक्ष भी अपीलांटगण वैकल्पिक रास्ते के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता थी। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.01.2023 विधि सम्मत होने से हम इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है, अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां के प्रकरण संख्या 169/2017 मे पारित निर्णय दिनांक 04.01.2023 यथावत रखा जाता है।

9. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 24.07.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा